भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2232
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन

2232. **सुश्री एस. जोतिमणि:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को दिए जाने वाले मानदेय में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई संशोधन किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को आंगनवाड़ी यूनियनों और कर्मचारी संघों से वेतन वृद्धि, पेंशन लाभ या सेवाओं के नियमितीकरण की माँग या अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों की कार्य स्थितियों, नौकरी की सुरक्षा और बीमा कवरेज और मातृत्व अधिकारों सहित सामाजिक सुरक्षा लाभों में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या तमिलनाडु सहित किसी राज्य ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन या टॉप-अप भुगतान की घोषणा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को एक सरंचित वेतनमान के अन्तर्गत लाने या उन्हें औपचारिक सरकारी कार्यबल ढांचे में शामिल करने का विचार रखती है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और क्या समय-सीमा तैयार की गई है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार नीति और नियोजन के लिए ज़िम्मेदार है तथा राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) स्थानीय समुदाय से "मानद कार्यकर्त्री" हैं जो स्थानीय समुदाय की मदद करने के लिए बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा पूर्वक आगे आते हैं जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच को मानदेय दिया जाता है जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। 1 अक्टूबर, 2018 से, भारत सरकार ने केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परिभाषित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का मानदेय 3,000/- रुपये से बढ़ाकर 4,500/- रुपये प्रति माह कर दिया है; मिनी-आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय को 2,250/- रुपये से बढ़ाकर 3,500/- रुपये प्रति माह एवं आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय को 1,500/- रुपये से बढ़ाकर 2,250/- रुपये प्रति माह कर दिया है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन पदाधिकारियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/टॉप-अप भी दे रहे हैं, जो राज्य-दर-राज्य अलग-अलग हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त टॉप-अप का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिका को 250 रुपये प्रति माह का प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने संसाधनों से इन स्वैच्छिक कार्यकर्त्रियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/टॉप अप भी दे रहे हैं जो राज्य दर राज्य अलग-अलग है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत, कुशल निगरानी और सेवा वितरण के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को स्मार्टफोन देकर तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन पोषण ट्रैकर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल बनाया है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार होने के साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र में चल रही सभी गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी करना भी सुगम हुआ है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न पहल शुरू की गई हैं:

(i) पदोन्नति: मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा भरे जाने हैं तथा पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं, बशर्ते कि वे अन्य मानदण्डों को पूरा करती हों।

(ii) अवकाश: 20 दिन का वार्षिक अवकाश और 180 दिनों का सवेतन मातृत्व अनुपस्थिति, एक बार गर्भपात/गर्भस्त्राव होने पर 45 दिनों का सवेतन अनुपस्थिति।

(iii) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के अंतर्गत स्वयं को नामांकित कराने के लिए प्रोत्साहित करें, यह योजना वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों हेतु एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

(iv) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं: 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये का जीवन बीमा (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु को शामिल करता है) और 18-59 वर्ष की आयु वर्ग की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 2.00 लाख रुपये (दुर्घटना मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना बीमा प्रदान किया गया है।

(v) सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाएं।

(vi) वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये की वार्षिक स्वास्थ्य देखरेख कवरेज देने की घोषणा की गई है।

*****

अनुलग्नक

"आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन" के संबंध में दिनांक 01.08.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2232 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) 2025-26 के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त टॉप-अप का विवरण:

क्रं.सं.	राज्य	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को दिया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय (प्रतिमाह)	आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिया जाने वाला अतिरिक्त मानदेय (प्रति माह)
1	आंध्र प्रदेश	7,000	4,750
2	बिहार	2,500	1,750
3	छत्तीसगढ़	5,500	2,750
4	गुजरात	5,500	3,250
5	हरियाणा	10,250	5,650
6	हिमाचल प्रदेश	5,500	3,250
7	जम्मू एवं कश्मीर	600	300
8	झारखंड	5,000	2,500
9	कर्नाटक	7,000	4,500
10	केरल	5,700	4,300
11	मध्य प्रदेश	8,500	4,250
12	महाराष्ट्र	8,500	5,250
13	ओडिशा	5,500	2,750
14	पंजाब	5,500-6,500	2,750-3,250
15	राजस्थान	5,510	3,674
16	तमिलनाडु	3,200	1,850
17	तेलंगाना	9,150	5,550
18	उत्तर प्रदेश	1,500	750
19	उत्तराखंड	4,800	3,000
20	पश्चिम बंगाल	4,500	4,550
21	अरुणाचल प्रदेश	3,000	3,000
22	असम	2,000	1,000
23	मणिपुर	1,000	600
24	मेघालय	3,000	1,000

25	मिजोरम	450	500
26	नागालैंड	Nil	Nil
27	सिक्किम	7,000	4,500
28	त्रिपुरा	3,500-5,946	2,750-4218
29	अंडमान और निकोबार	7,500	5,750
30	गोवा	5,500 -13,500	3,750 - 6,750
31	पुद्दुचेरी	1,950	2,125
32	चंडीगढ़	3,600	1,800
33	लद्दाख	1,300	650
34	दिल्ली	6,720	3,360
35	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3,500	1,750
36	लक्षद्वीप	5,500	4,750

****